रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 26] नई दिल्ली, जून 24—जून 30, 2018, शनिवार/ आषाढ़ 3—आषाढ़ 9, 1940
No. 26] NEW DELHI, JUNE 24—JUNE 30, 2018, SATURDAY/ASADHA 3— ASADHA 9, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 18 जून, 2018

सा.का.नि. 198.—राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय रेलवे कार्मिक विभाग में समूह "ख" के पदों के भर्ती नियम,1981 का अधिक्रमण करते हुए इस प्रकार के अधिक्रमण से पहले की उन बातों के सिवाय जिन्हें किया गया है या करने का लोप किया गया है, को छोड़कर भारतीय रेल के कार्मिक विभाग में सहायक कार्मिक अधिकारी के समूह 'ख' पदों की भर्ती की पद्धति को विनयमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ-** (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल सहायक कार्मिक अधिकारी (समूह 'ख' राजपत्रित) भर्ती नियम, 2018 है।

(ii) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.-** भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपर्युक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता .-** कोई भी व्यक्ति ,-

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित हो, विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो,

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा.

परंतु यदि केंद्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ऐसे विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहाँ केंद्रीय सरकार की राय में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सहायक कार्मिक अधिकारी	286*(2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	रेल सेवा समूह "ख" राजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर-8 (47600 -151100 ₹)	चयन पद

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नही	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वाराः चयन के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा 70% और 30% सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा.	<u>प्रोन्नतिः</u> (क) 70% रिक्तियां निम्नलिखित में से चयन के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी (जिसमें एक लिखित परीक्षा एवं मौखिक परीक्षा शामिल होगी): (i) कार्मिक विभाग के अननुसचिवीय कर्मचारी समूह 'ग'; (ii) भंडार एवं परिवहन (यातायात और वाणिज्य) विभाग, सांख्यिकीय और संकलन शाखा के अननुसचिवीय कर्मचारी समूह 'ग', मुख्य विधि सहायक, सभी विभागों के आशुलिपिक (लेखा विभाग को छोड़कर) जिनके पास उनके अपने विभाग में समूह 'ख' में प्रोन्नति के लिए अवसर हो लेकिन उनको दिए गए विकल्प के आधार पर उन्हें सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर प्रोन्नत करने के लिए विचार करने के लिए चुना जाता है; और (iii) भारतीय रेल के हिंदी संगठन और लेखा विभाग को छोड़कर किंतु रोकड़ और वेतन एवं समय कार्यालय जहां उनके अपने विभाग में समूह 'ख' में प्रोन्नति के लिए अवसर नही है, सहित अन्य किसी विभाग में संवर्ग पद में कार्यरत समूह 'ग' अननुसचिवीय कर्मचारी. वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 तथा उससे ऊपर स्तर में नियमित आधार पर पदों पर नियुक्त कर्मचारी जिन्होंने स्तर-6 में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो, से चयन किया जाएगा. **टिप्पण 1:** जहाँ ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके वरिष्ठ कर्मचारियों के बारे में भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो. **टिप्पणी 2 :** सहायक कार्मिक अधिकारी के समूह 'ख' के लिए 70% भाग के चयन के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के बाद, योग्यता के क्रम में रिक्तियों

	की छः गुना की सीमा तक अभ्यर्थियों को मौखिक परीक्षा के लिए बुलाया जाता है. उसके बाद, सफल अभ्यर्थियों को वरिष्ठता के आधार पर पैनल में शामिल किया जाता है. (ख) 30% रिक्तियां उपर्युक्त पैरा (क) के उप-पैरा (i), (ii) एवं पैरा (iii) में दिए गए विभागों के समूह 'ग' कर्मचारियों में से सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से वेतन मैट्रिक्स स्तर-6 में नियमित आधार पर पदों पर नियुक्त कर्मचारियों जिन्होंने स्तर-6 में पांच वर्ष की नियमित सेवा कर ली हो, से भरी जाएंगी. (i) बहरहाल सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा केवल योग्यता के आधार पर है.

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हो, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल है:- 1. प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी —अध्यक्ष 2. संबंधित क्षेत्रीय रेलों के महा प्रबंधक द्वारा नामित किए जाने वाले किसी विभाग (कार्मिक विभाग के अलावा) के उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड/वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर अधिकारी —सदस्य 3. संबंधित क्षेत्रीय रेलों के महा प्रबंधक द्वारा नामित किए जाने वाले किसी विभाग (कार्मिक एवं उपर्युक्त क्रमांक 2 के अधिकारी द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले विभाग के अलावा) के उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड/वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 2006/ई (जीआर) I /15/4-आरआर]

चेतन प्रकाश जैन, कार्यपालक निदेशक स्था. (राजपत्रित संवर्ग)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, 18th June, 2018

G.S.R. 198.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and in supersession of the Indian Railways Personnel Department, Group 'B' Posts Recruitment Rules, 1981, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'B' post of Assistant Personnel Officer in the Personnel Department of Indian Railways, namely:–

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called Indian Railways Assistant Personnel Officer (Group 'B', Gazetted) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.** – The number of posts, its classification and the level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.** – The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.** – No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Assistant Personnel Officer.	286* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	Railway Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 8 (47600 – 151100 ₹)	Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made
(10)	(11)
By promotion: 70% by promotion through selection and 30% by promotion through Limited Departmental Competitive Examination.	**Promotion:** (A) 70% of the vacancies shall be filled by promotion through selection (which shall include a written test and also viva voce test) from amongst the following: (i) Group 'C' Ministerial staff of the Personnel Department; (ii) Group 'C' Ministerial Staff of Stores and Transportation (Traffic and Commercial) Department, Statistical and Compilation Branch, Chief Law Assistants, Stenographers of all Departments (excluding Accounts

	Department) who have an avenue for promotion to Group 'B' in their own Department but on the basis of option being given to them, have elected to be considered for promotion to the post of Assistant Personnel Officer; and (iii) Group 'C' Ministerial Staff working in cadre post in any other Department of the Indian Railways excluding Hindi Organisation and Accounts Department but including Cash and Pay and Time office who have no avenue for promotion to Group 'B' in their own Department. The selection shall be made from the staff holding posts on a regular basis in level-6 in the pay matrix and above with three years of regular service in level-6 (including regular service rendered in the corresponding pre-revised grades). **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service and are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** After the written examination held as part of 70% selection for Group 'B' post of Assistant Personnel Officer, candidates to the extent of six times the number of vacancies are to be called for the viva-voce, in the order of merit. Thereafter, successful candidates are to be empanelled on the basis of seniority. (B) 30% of the vacancies shall be filled through a Limited Departmental Competitive Examination from amongst Group 'C' staff of Departments referred to in sub-paragraph (i), (ii) and (iii) of paragraph (A) above, holding posts on a regular basis in level-6 in the pay matrix with five years of regular service in level-6 (including regular service rendered in the corresponding pre-revised grades). (i) Limited Departmental Competitive Examination is however purely merit based.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Principal Chief Personnel Officer —Chairman 2. HAG/SAG level officer of any Department (other than Personnel Department) to be nominated by the General Manager of the concerned Zonal Railway —Member 3. HAG/SAG level officer of any Department (other than Personnel & the Department represented by officer at SN.2 above) to be nominated by the General Manager of the concerned Zonal Railway —Member	Not applicable.

[F. No. 2006/E(GR)I/15/4-RR]

CHETAN PRAKASH JAIN, Executive Director Estt.(Gaz. Cadre)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 506] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 26, 2018/ श्रावण 4, 1940
No. 506] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 26, 2018/SHARVANA 4, 1940

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2018

सा. का. नि. 676(अ).—भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 198, तारीख 30 जून, 2018 में पृष्ठ 1114 की पंक्ति 6 में "वेतन मैट्रिक्स स्तर-6" के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स स्तर-6 और उससे ऊपर" पढ़ें।

[फा.सं. 2006/ई(जीआर)1/15/4-आरआर]

चेतन प्रकाश जैन, कार्यपालक निदेशक

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 198, तारीख 30 जून, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
CORRIGENDUM

New Delhi, the 25th July, 2018

G.S.R. 676(E).— In the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board) published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 198, dated the 30th June, 2018, at page 1116, in line 27, for "pay matrix", read "pay matrix and above".

[F. No. 2006/E(GR)1/15/4/RR]

CHETAN PRAKASH JAIN, Executive Director

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 198, dated 30th June, 2018.

4304 GI/2018

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.07.27 15:16:29 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 599] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 28, 2018/भाद्र 6, 1940
No. 599] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 28, 2018/BHADRA 6, 1940

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2018

सा.का.नि. 814(अ).—भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 198, तारीख 30 जून, 2018 की अनुसूची में:—

(i) अधिसूचना के हिंदी पाठ में—

(क) पृष्ठ 1112 पर, कॉलम (3) के अधीन "अननुसचिवीय" के स्थान पर "अनुसचिवीय" पढ़ें.

(ख) पृष्ठ 1113 पर, कॉलम 11 के अधीन,—

(1) पंक्ति 4 में, "अननुसचिवीय" के स्थान पर "अनुसचिवीय" पढ़ें.

(2) पंक्ति 6 में, "अननुसचिवीय" के स्थान पर "अनुसचिवीय" पढ़ें.

(3) पंक्ति 17 में, "अननुसचिवीय" के स्थान पर "अनुसचिवीय" पढ़ें.

(ग) पृष्ठ 1114 पर, कॉलम (13) के अधीन "लागू नही होता" के स्थान पर "संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नही है" पढ़ें.

(ii) अधिसूचना के अंग्रेजी पाठ में—

(क) पृष्ठ 1115 पर, कॉलम (3) के अधीन "अननुसचिवीय" के स्थान पर "अनुसचिवीय" पढ़ें.

(ख) पृष्ठ 1116 पर, कॉलम (13) के अधीन "लागू नहीं होता" के स्थान पर "संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नही है" पढ़ें.

[फा. सं. 2006/ई(जीआर)1/15/4-आर आर]

चेतन प्रकाश जैन, कार्यपालक निदेशक

टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 198, तारीख 30 जून 2018 द्वारा भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 24th August, 2018

G.S.R. 814(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 198, dated the 30th June, 2018, in the Schedule,––

(*i*) in Hindi version of the notification,––

(a) at page 1112, under column (3), *for* "Non-Ministerial", *read* "Ministerial";

(b) at page 1113, under column (11) ,––

(1) line 4, *for* "Non-Ministerial", *read* "Ministerial";

(2) line 6, *for* "Non-Ministerial", *read* "Ministerial";

(3) line 17, *for* "Non-Ministerial", *read* "Ministerial";

(c) at page 1114, under column (13), *for* "Not applicable", *read* "Consultation with Union Public Service Commission not necessary";

(ii) in English version of the notification, ––

(a) at page 1115, under column (3), *for* "Non-Ministerial", *read* "Ministerial";

(b) at page 1116, under column (13), *for* "Not applicable", *read* "Consultation with Union Public Service Commission not necessary".

[F. No. 2006/E(GR)1/15/4/RR]

CHETAN PRAKASH JAIN, Executive Director

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 198, dated 30th June, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.08.28 22:29:11 +05'30'